

शैक्षिक सत्र 2020-21 में गैर सरकारी संस्थाओं को नवीन विद्यालय की मान्यता/क्रमोन्नति आदि के संबंध में जारी दिशा-निर्देश दिनांक 27.08.2020 में संशोधन बाबत।

शैक्षिक सत्र 2020-21 में गैर सरकारी संस्थाओं को नवीन विद्यालय की मान्यता/क्रमोन्नति/स्थान/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन/अति.विषय/अति.संकाय आदि के संबंध में जारी दिशा-निर्देश दिनांक 27.08.2020 के क्रम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. परिशिष्ट 5-(डी) में स्थान परिवर्तन के अंतर्गत स्थान परिवर्तन हेतु कॉलम संख्या 2 अथवा 3 में से किसी एक का चयन किया जा सकेगा के 1 किमी. एवं 2 किमी. से अधिक की दूरी के स्थान परिवर्तन कॉलम संख्या 2 को विलोपित किया जाता है।
2. तथा कॉलम संख्या 04 स्थान परिवर्तन 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के अंतर्गत (कॉलम संख्या 2 अथवा 3 का शुल्क लागू) में कोष्ठक में अंकित कॉलम संख्या 2 को विलोपित किया जाकर शुल्क निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-
 - Primary (Class1-05): 10,000+10,000/Kms (Late fees 10,000)
 - Upper Primary (Class1-08) : 20,000+10,000/Kms (Late fees 10,000)
 - Secondary (Class1-10) : 40,000+20,000/Kms (Late fees 10,000)
 - Sen. Secondary School (Class1-12) :50,000 +20,000/Kms (Late fees 10,000)